नीलाम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रकाष्ठ अभिवहन शुल्क का तीन वर्ष (दिनांक 07.12.2018 से 06.12.2021 तक) का ठेका/लाईसेन्स की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 26.11.2018 को अपराहन 2 बजे कार्यालय जिला पंचायत शामली में की जायेगी। बोली बोलने से पूर्व बोलीदाता को जमानत के रूप में अंकन 2 लाख रू0, पैन कार्ड, आधार कार्ड/फोटो पहचान पत्र एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी वैध चरित्र प्रमाण पत्र बोली/नीलामी से पूर्व बोलीदाता को प्रस्तुत करना होगा। (नीलामी में उच्चतम बोलीदाता को बोली की समस्त धनराशि उसी दिन जमा करनी होगी। साथ ही नीलाम धनराशि का 1 प्रतिशत टी0सी0एस0 पृथक से स्वीकृति उपरान्त जमा करना होगा।) नीलाम संबंधी अन्य शर्तें जनपद शामली की वेबसाईट www.shamli.nic.in पर प्रकाशित है तथा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला पंचायत में भी देखी व पढी जा सकती है। उक्त तिथि को उचित बोली प्राप्त न होने पर पुनः नीलाम दिनांक 30.11.2018 को अपराहन 2 बजे किया जायेगा।

(मुकेश जैन)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत शामली।

कार्यालय जिला पंचायत, शामली।

पत्रांक– 350 /जि0पं0शा0/2018–19 दिनांक – 3-11-18

प्रतिलिपि–

1. मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत शामली को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी शामली को सादर सूचनार्थ।
3. नीलाम समिति के सदस्य कर अधिकारी/वित्तीय परामर्शदाता को इस आशय के साथ कि वह नियत तिथि पर नीलाम सम्पन्न कराये।
4. कर अधिकारी एवं क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कर समाहर्ताओं को वृहद प्रचार–प्रसार हेतु।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, शामली को इस अनुरोध के साथ कि यह विज्ञप्ति जनपद शामली की शासकीय वेबसाईट www.shamli.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. संपादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण व दैनिक अमर उजाला को इस आशय से कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को अपने अगले स्थानीय अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित कर प्रकाशन की 4 प्रतियों के साथ बिल जिला सूचना अधिकारी से दर प्रमाणित कराकर कार्यालय में भेजने का कष्ट करें।
8. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत शामली।

D:\OFFICE new\नीलाम निविदा संबंधी सूचना